

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) जमा भाग/भुगतान को निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करता है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (आर्थिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई अस्वीकार्यता नहीं होगा तथा न ही नियम किसी हानिपूर्वी को लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) मान निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक नियम को सुचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**स्फुल्ल खिडकी जैवल आवासीय प्रयोजनके**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 658 दिनांक 30/7/2020

प.वी सुन्दर लाल 516 श्री मिस्त्रीलाल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

भाग 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.नं० = 67 मील खस्ती

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7500/- जमा

जारी रसीद संख्या 2069/9383, 9384

दिनांक 30/7/2020 को जमा करा दी है ।

30/7/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

30/7/2020  
531400/964